<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस</u>

<u>प्रकरण संख्या 27 / 2022 (उदयपुर डिक्री)</u>

श्रीमती अम्बूडी पत्नी अमरा जी भील, जाति भील, निवासी कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. अभिमन्यु सिंह गरासिया पिता अर्जुनलाल गरासिया, जाति मीणा, निवासी 18, मालदास स्ट्रीट, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पार्वती पत्नी नानालाल अहारी, जाति मीणा, निवासी पगल्याजी रोड, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
3. मृतक गोविन्द पिता डालू मीणा के बजाय :–

3/1. गिरधारी पिता स्व. गोविन्द मीणा, जाति मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. पूरण पिता स्व. गोविन्द मीणा, जाति मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. शिवलाल पिता स्व. गोविन्द मीणा, जाति मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/4. श्रीमती शम्भुडी पत्नी स्व. गोविन्द मीणा, जाति मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3/5. सुश्री खुशबू पुत्री स्व. गोविन्द मीणा, जाति मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4. शंकर पिता रूपा गमेती, जाति भील, निवासी 26–बी, अग्रसेन नगर, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती खमणी पत्नी श्री लसा भील, जाति भील, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0
अधिनियम1955विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्डअधिकारी,गिर्वादिनांक
26–06–2018प्रकरण सं0391/2012

———::———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> :–1–श्री सुशील कोठारी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक रे.सं.1

3– श्री कुलदीप चौबीसा अभिभाषक रे.सं. 5

4– श्री कमलेश चौ[illegible]कीय अभिभाषक

———::———

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.18 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयदिनांक13–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम डेडकिया, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 9322 व 9331 कुल किता 2 रकबा 1.5000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त खातेदार होकर काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजियात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार काबिज हैं। वादी अपनी उक्त आराजियात का बंटवारा करवाकर अलग से कब्जा प्राप्त करना चाहता है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–06–2015 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 26–06–2018 को अंतिम डिक्री जारी की गयी। उक्त अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–05–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप चौबीसा उपस्थित हुए।औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए।शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा इसी उनवान के अन्य प्रकरण संख्या 28/2022 में लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं उसे ही अपनी बहस होने का निवेदन किया गया, जो पत्रावली संख्या 28/2022 के साथ संलग्न है।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 शंकर पिता रूपा से उसका 1/5 हिस्सा जरिये [illegible] विक्रय पत्र से क्रय किया है, जिसके लिए अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजन करने हेतु प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.18 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested

भीप्रस्तुत किया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसका निस्तारण किये बिना अंतिम डिक्री पारित कर दी। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट पक्षकार नहीं थी। अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से उसका 1/5 हिस्सा क्रय करना बताया है, किन्तु उक्त हिस्सा किस दिनांक को क्रय किया इसका उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है, न ही इस बाबत् को दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। बिना किसी दस्तावेज के केवल उसके कथन मात्र से उसे व्यक्ति पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी नंबर 9322 व 9331 कुल किता 2 रकबा 1.5000 हैक्टर में से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 शंकर से उसका 1/5 हिस्सा क्रय किया है। तद्नुसार हम उसे प्रभावित पक्षकार पाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण किया जाना था एवं हेतु पेशी दिनांक 24–08–2018 नियत थी, परन्तु उक्त दिनांक को पत्रावली कार्यालय में पेश ही नहीं हुई एवं अपीलान्ट को बिना सूचना दिये दिनांक 26–06–2018 को निर्णय पारित कर दिया गया। दिनांक 22–03–2022 को दैनिक भास्कर में उक्त भूमि बाबत् सूचना प्रकाशित होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRD 1998 Page 319, 2020 0 Supreme (SC) Page 600, RRT 2008 (2) Page 1406 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, फिर भी करीब 4 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गयी है। इतने लम्बे विलम्ब का कोई पर्याप्त अथवा समुचित कारण नहीं बताया गया है। चार वर्ष तक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया, यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.18 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested

नहीं बताया गया। केवल मात्र रेस्पोन्डेन्ट से दुर्भावना पूर्वक अनुचित लाभ प्राप्त करने की गरज से 4 वर्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। जो बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2018 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 09–05–2022 को पेश की है, जबकि उक्त अपील 60 दिवस में अर्थात दिनांक 25–08–2018 तक प्रस्तुत की जानी थी। अर्थात उक्त अपील करीब 3 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, इसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने बताया है वह उचित एवं पर्याप्त कारण होना प्रकट नहीं होता है। स्वयं अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजन हेतु आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रार्थना पत्र दिनांक 06–02–2018 को प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि दिनांक 22–03–2022 को दैनिक भास्कर में उक्त भूमि बाबत् सूचना प्रकाशित होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई, उचित प्रतीत नहीं होता है। लगभग 4 वर्ष तक उन्होंने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया, इसका कोई उचित कारण उनके द्वारा नहीं बताया गया है।इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं उनके तथ्य भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों एवं अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि राजस्व शिविर में मात्र एक पक्षकार की उपस्थिति में दूसरे पक्षकार को बिना सूचित किये निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा पक्षकार संयोजित किये जाने के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा बगैर पक्षकारों को नोटिस जारी किये तथा बगैर मौके पर गये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जो त्रुटि पूर्ण है। तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार पटवारी हल्का को डेलीगेट नहीं किये जा सकते। मात्र वादी की भूमि का विभाजन कर शेष सभी प्रतिवादीगणों की भूमि अविभाजित रखी गयी है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय किये जाते हैं, जबकि इस प्रकरण में पक्षकारों के मध्य कोई सहमति नहीं हुई है तथा नियत पेशी दिनांक 24–04–2018 के स्थान पर सीधे ही प्रकरण दिनांक 26–06–2018 को रखकर अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अंतिम डिक्री जारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.18 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested

है, जो त्रुटि पूर्ण है। अपील अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अंतिम डिक्री दिनांक 26–06–2018 निरस्त फरमायी जावे।अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRT 2019(1) Page 380 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के तहत ही अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलान्ट ने यदि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से उसका हिस्सा खरीदा है, वह उक्त आराजियात से भिन्न है तथा वह अपना हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट की आराजियात से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हिस्से में आयी आराजियात उसके द्वारा क्रय की गयी है एवं न ही उसका कब्जा है।अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री विधि सम्मत है।यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करने के पश्चात् विवादित आराजियात का आवासीय रूपान्तरण किया जाकर मौके पर भूखण्ड काटकर उनका विक्रय भी किया जा चुका है। भूमि आवासीय रूपान्तरित हो जाने से आप न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः अपील आप न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 शंकर जो अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 थे, उनके फुट स्टेप पर आया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शंकर के 1/5 हिस्से का विभाजन करते हुए अंतिम डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में शंकर को जो भूमि विभाजन से प्राप्त हुई है, अपीलान्ट उसी भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की आराजियात से अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सरोकार होना प्रकट नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिवत अंतिम डिक्री जारी की गयी है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि विवादित आराजियात का दिनांक 31–01–2020 को आवासीय रूपान्तरण हो चुका है एवं मौके पर भूखण्ड काटकर उनका विक्रय भी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील में वादी आराजियात का आवासीय रूपान्तरित हो जाने से न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार नहीं रहता है। तद्नुसार अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.18 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested

बेरून मयाद होने, सारहीन होने एवं न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्टबेरून मयाद होने, सारहीन होने एवं न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26–06–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 13–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.18 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती अम्बूडी पत्नी अमरा जी भील, बनाम**अभिमन्यु सिंहगरासिया पिता अर्जुनलाल निवासी कोटडा, तहसील कोटडा,गरासिया निवासी 18, मालदास स्ट्रीट,जिला उदयपुर उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**27 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**26**.....माह.....**06**.....**2018**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**13**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री सुशील कोठारी**....मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा/कुलदीप चौबीसा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने, सारहीन होने एवं न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26–06–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .....**X**.....
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**13**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.18 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested